विधान सभा प्रश्न

विभाग का नाम : कृषि

तारांकित प्रश्न संख्या : 4592

उत्तर की तिथि : 25.02.2022

विषय : सब्जी मण्डी निर्माण

प्रश्नकर्ता का नाम : श्री इन्द्र सिंह (बल्ह)

सम्बन्धित मन्त्री : ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मन्त्री

प्रश्न	उत्तर
क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि बल्ह विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत सब्जी मंडी का निर्माण कार्य कब आरम्भ किया जाएगा; इसके लिए कितनी धनराशि का प्रावधान है तथा इस हेतु क्या औपचारिकताएं शेष रहती हैं; ब्यौरा दें?	सूचना सभा पटल पर रख दी गई है।

श्री इन्द्र सिंह (बल्ह) द्वारा पूछे गए तारांकित प्रश्न सं0 4592 से सम्बन्धित सूचना :–

प्रस्तावित भूमि प्राप्त होने तथा निर्माण की प्रक्रिया पूरी करने के उपरान्त ही कार्य आरम्भ किया जाना सम्भव है। इस प्रायोजन हेतु वर्ष 2021–22 में मु0 05.00 लाख रू0 का टोकन प्रावधान स्वीकृत है। निर्माण सम्बन्धी निम्नलिखित औपचारिकताएं पूरी की जानी शेष रहती हैं:

1. उप मण्डी के निर्माण हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अंतर्गत भूमि खसरा न0 314/3, रक्वा 19–00–18 बीघा, मुहाल जरलू/227 तहसील बल्ह (Gair Mumkin Khad) कृषि विभाग के नाम परिवर्तित करने के लिए दूसरे चरण की स्वीकृति भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय के एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, शिमला द्वारा दिनांक 25.01.2022 को जारी कर दी गई है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय से अंतिम स्वीकृति प्राप्त की जानी शेष है।
2. निर्माण से सम्बन्धित सर्वेक्षण, डिजाईनिंग–प्लानिंग करवाने के लिए परामर्शदाता की नियुक्ति की जानी है।
3. हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड से प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त की जानी है; तथा
4. निर्माण के लिए निविदाएं आमंत्रित करने की प्रकिया पूरी करना इत्यादि शेष है।